न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0– 76/2013

मु0 धनेश्वरी देवी वगैरह बनाम् राम प्रवेश बिन वगैरह

23.08.2022

उभय पक्ष की हाजिरी है। वादी के तरफ से दिनांक–10.08.2022 आदेश 39 नियम 01 व 02 धारा 151 सी.पी.सी. के अंगर्तत एक आवेदन दाखिल किया गया कि मौजूदा मुकदमा मुदईयान वास्ते रिमोभेवुल आफ इन्क्रोचमेंट के खिलाफ मुदालेह न्यायालय में दाखिल किया है। मुदालेह मौजूदा मुकदमा में उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी भी दाखिल किया है। दौरान मुकदमा के मुदालेह तकरारी एराजी मौजा सोनवर्षा थाना नं0–452 थाना नावानगर जिला बक्सर खाता नं0–111 वो खेसरा नं0–269 रकबा 12.5 डी0 खरीदगी एराजी में जानिब उत्तर 100 कड़ी लम्बा पूरब पश्चिम एवं 80 कड़ी चौड़ा उत्तर दखिन तकरीबन 8 डी0 है जो उक्त मुकदमा में जमीमा नं0–1 की एराजी है जिसमें मुदालेह कल रात में करीब 8 बजे मजदूरों वो राजमिस्त्री के द्वारा तकरारी एराजी का हैत हालत वो एवीडेंस पोजशन क्रीएट करने के ख्याल से वो मन मुदईयान को तंग वो परेशान की नियत से एराजी तकरारी के नव निर्माण की कार्यवाही जोरो पर शुरू किये है जिसे रोकना कानून जरूरी है एराजी तकरारी मन मुदईयान की खरीदगी वो हकियती वो दखली एराजी है जिसकी दिनांक–02.12.86 को रजिस्ट्री कबाला कर पार्ट एण्ड पार्सल भाग है। उक्त सवाल में प्राइमाफेसी वो बैलेंश ऑफ कन्वीनियंस है वो मुदईयान को काफी क्षति भी है वो उक्त एराजी में अगर कोई नव निर्माण कार्य होने से मुकदमा का प्राकृत वो स्वभाव बदल जाएगा। प्रार्थीगण अर्ज करते हैं कि ताफैसला तकरारी एराजी में कोई भी नव निर्माण करने वो रद्दो बदल करने से न्यायहित में मुदालेह को रोकना जरूरी हो गया है। अतः लेहाजा फिदवी इम्तनाई दाखिल करके निवेदन करता है कि मुदालेह का दौरान मुकदमा के उन्हें कोई नव निर्माण की कार्यवाही करने से अथवा हैत हालात एराजी तकरारी का तफसील करने से उन्हें तरफ मुकदमा के करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के तरफ से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–10.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन बिल्कुल मिसकन्सीम्ड है वो हर सूरत से खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत आवेदन कानूनतः वो तथ्यतः संधारणीय वो पोषणीय नहीं है। मुदईयान द्वाना वर्तमान मोकदमा विवादित प्लाट सं0 269 में मुदालेहम द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त कर दखल–कब्जा प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया है। मुदईयान द्वारा बिल्कुल गलत वो मनगढ़ंत के आधार पर मोकदमा दाखिल किया गया है। हकीकतन मुदालेहम विवादित प्लाट सं0–269 में रकबा 4 डी0 वो रकबा 2 कट्ठा 10 धुर एराजी दो किता पंजीकृत कबाला के माध्यम से खरीदकर दखल कब्जे में रहते चले आ रहे है जिससे मुदईयान को किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है, मुदईयान द्वारा वाद पत्र के पारा सं0–8 में मुदालेह के कब्जा–दखल को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। मुदालेह द्वारा बयान तहरीरी दाखिल कर अपने निर्माण, मकान वो कब्जा दखल के संबंध में बयान जा चुका है। कानूनतः अतिक्रमण वाद में जहॉ मुदालेह का दखल–कब्जा मुदई द्वारा स्वीकृत हो वैसी स्थिति में मुदालेह के विरूद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है। मुदई द्वारा गलत वो मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर आवेदन दाखिल किया गया है। मुदई का दावा प्रथम दृष्टया सही नहीं है वो सुविधा का संतुलन भी मुदई के पक्ष में नहीं है

लगातार–
23.08.2022

वो निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं होने से मुदईयान को किसी तरह की कोई क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थना है कि मुदईयान द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–10.08.2022 को खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे ज्ञात होता है कि यह वाद अतिक्रमण को हटाने के लिए लाया गया है जिसमें वादी द्वारा कहा गया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं उसको सम्पुष्ट करने के लिए वादी पक्ष की ओर से वादग्रस्त भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य का फोटोग्राफ को दाखिल किया है इससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का विरोध तो किया गया है परन्तु वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य नहीं होने का दावा नहीं किया बल्कि निर्माण कार्य को स्वीकार किया। उक्त परिस्थितियों में वादग्रस्त भूमि पर पक्का निर्माण कार्य हो जाने से वादी द्व ारा मांगे गये अनुतोष अतिक्रमण को हटाने में कठिनाइ होगी। अतः वादी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे और यथास्थिति बनाये रखे।

लेखापित
Sd/-
मुंसिफ, डुमरॉव